

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2014—श्रावण 31, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. 5355-214-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अगस्त 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक १२ अगस्त, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में
दिनांक २२ अगस्त, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(२) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ४८ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ए) में, शब्द और अंक “धारा ३७” के स्थान पर, शब्द और अंक “इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञाति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७” स्थापित किए जाएं।

धारा ५४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, शब्द “अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्” के स्थान पर, शब्द “अपने इस विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् और ऐसी शर्त के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए” स्थापित किए जाएं।

धारा ६१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द और अंक “धारा ३७” के स्थान पर शब्द और अंक “इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञाति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७” स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्र. 5356-214-इक्वीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2014

THE MADHYA PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 12th August, 2014; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 22nd August, 2014.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Excise Act, 1915.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Excise (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 48.

2. In Section 48 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (II of 1915) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1), in clause (a), for the word and figure “Section 37”, the words and figures “Section 34 for contravention of any condition of a licence, permit or pass granted under this Act, Section 37” shall be substituted.

Amendment of Section 54.

3. In Section 54 of the Principal Act, for the word “after recording the grounds of his belief”, the words “after recording the grounds of his belief and subject to such condition as may be prescribed” shall be substituted.

Amendment of Section 61.

4. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the word and figure “Section 37”, the words and figures “Section 34 for the contravention of any condition of a licence, permit or pass granted under this Act, Section 37” shall be substituted.